

२४¹/_{२२} पत्रावली तहत वकील वारी करुण। वकील
वारी के हय कोथिस दिनांक 31/1/११ की
पालना में राज्य दिनांक तंक तलवाना तमक
प्रालुव नमी किना है, आव: न्यायालय सिविल
प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 तिम 5 एवं
राज्य अधिनियम की चाप 63(1) के
तहत वार को खादिस करने का आदेश
देता है। पत्रावली के तल सुमाट हेरुट
का तकील दाखिल दफतर हो।

~~(प्रियंका तलवाया)
उपखण्ड अधिकासी
अनूपगढ~~

